

लोको पायलट अन्देश क्रमांक : 02/2025

**विषय : NMG coaches का रखरखाव और संचालन ।**

सन्दर्भ : (i) Dy CEE/OP's L.102.LG.5.Safety/Accident /31 dated 14.01.2025

(ii) Railway Board's L.No.2020/M(C)/650/2Pt dated 04.12.2024.

सभी लोको पायलट/सहायक लोको पायलट को निर्देश दिया जाता है कि "NMG ट्रेन जब 1 पर 8.5 टर्नआउट से गुजरती है तो गति की सीमा 10 Kmph रखें। कोई स्थानीय गति प्रतिबंध हो तो उस गति प्रतिबंध लागू होगा। इसे अस्थायी तौर पर 06 माह के लिए अनुमोदित किया जाता है।

"Limiting the speed of NMG train to 10 kmph while moving over 1 in 8.5 turnouts. Any local speed restriction shall prevail over this speed. This is approved as a temporary measure only for a period of 6 months."

सभी लोको निरीक्षकों को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने नामित लोको पायलट,सहायक लोको पायलट व लोको पायलट शंटर को फुटप्लेट के दौरान उपरोक्त निर्देशों की काउंसलिंग करें तथा उसकी पावती लें।

मध्यरेल

मंडलकार्यलय

टी.आर.ओ,विभागनागपुर

सं : नाग/टीआर/ओ/संरक्षा-/LP INST/23

दिनांक : 15.01.2025

प्रतिलिपि : मु.वि.इंजी (परिचालन)/सी.एस.टी.मुंबई को सूचनाार्थ

: उप.मु.वि.इंजी(परिचालन./सी.एस.टी.मुंबई को सूचनाार्थ


: व.मं.सं.अधिकारी नागपुर को सूचनाार्थ।

:सभी मुख्य कर्मी.नियंत्रक :समस्त रनिंग कर्मचारी को सूचित कर पावती लें।

: मुख्य लोको निरीक्षक : नामित लोको पायलटों को काउंसलिंग कर पावती हेतु।

: चा.प्र.के/अजनी : प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु।

:मु.क.लो.नि नागपुर: को सूचनाार्थ

  
/व.मं.वि.इंजी/टी.आर.ओ/नागपुर